संख्या-05/2021/बी-3-40(2)/दस-2021-100(5)/20-भ.नि.

प्रेषक,

विवेक त्रिपाठी,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

(जैसा संलग्न सूची में है)

वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांक 18 मार्च, 2021**

विषयः-राज्य कर्मचारियों को भवन निर्माण/क्रय करने के लिए अग्रिम।

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 में संलग्न तालिका में दिये गये राज्य के विभिन्न विभागाध्यक्षों आदि को उनके अधीन कार्यरत स्थाई तथा अस्थाई सरकारी कर्मचारियों/अधिकारियों को भवन निर्माण/क्रय करने के लिए अग्रिम स्वीकृत करने हेतु उनके सम्मुख दी हुई धनराशि निम्नलिखित तथा वित्तीय हस्तपुस्तिका, खण्ड-5, भाग-1 के अध्याय-11 में दी हुई शर्तो पर आवंटित किये जाने की स्वीकृति प्रदान करते हैः-

(1) अग्रिम स्वीकृति के पूर्व तत्संबंधी नियमों/आदेशों का भली-भॉति अध्ययन कर उनका अनुपालन सुनिश्चित करना आवश्यक है तथा प्रत्येक प्रकरण का परीक्षण शासनादेश दिनॉक 12-7-94 में निर्दिष्ट निर्देशानुसार किया जाय।

(2) अग्रिम की धनराशि उस समय तक नहीं निकालनी चाहिए जब तक कि उसको वास्तव में व्यय करने की आवश्यकता न हो।

(3) यदि अग्रिम का पूरा या कोई भाग उपयोग में नहीं लाया जाता है तो उसे तुरन्त खजाने में लौटा देना चाहिए।

(4) स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिमों का योग संलग्न तालिका में अंकित धनराशि से नहीं बढ़ना चाहिए।

2- भवन निर्माण/क्रय अग्रिमों पर ब्याज की दर अनन्तिम रूप से रूपये 50000 तक स्वीकृत अग्रिम पर 8.5 प्रतिशत, रूपये 150000 तक स्वीकृत अग्रिम पर 10.0 प्रतिशत, रूपये 500000 तक स्वीकृत अग्रिम पर 11.5 प्रतिशत तथा रूपये 750000 तक स्वीकृत अग्रिम पर 12.0 प्रतिशत प्रतिवर्ष होगी, किन्तु ऋण/ब्याज के नियमित रूप से प्रतिदान/भुगतान किये जाने पर ब्याज में 2.5 प्रतिशत की छूट दी जायेगी। अग्रिम स्वीकृत करने से पूर्व संबंधित अग्रिमी से इस आशय का लिखित आश्वासन प्राप्त कर लिया जाय कि जो भी दरें अन्तिम रूप से निर्धारित होंगी वे उन्हें मान्य होगीं। विगत वित्तीय वर्षो में स्वीकृत किये गये अग्रिमों, जिनकी शेष किश्त/किश्तों का भुगतान होना है उन मामलों मे ब्याज की दर वही होगी जोकि पहली किश्त के समय प्रभावी थी।

3- जिन कर्मचारियों को इसके पूर्व भवन निर्माण/क्रय हेतु अग्रिम स्वीकृत किया जा चुका है और उसकी एक या अधिक किश्ते दी जा चुकी हैं उन्हें आवंटित धनराशि में से शेष किश्त/किश्तों का भुगतान पहले किया जाय वशर्ते अन्य अपेक्षित औपचारिकताओं की पूर्ति हो गई हो। इसके बाद जो धनराशि बचे उसमें से अग्रिम की स्वीकृति वॉछित समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने के बाद शासनादेश संख्या बी-3-4446/दस-85, दिनांक 19.9.85 के साथ पठित शासनादेश संख्या बी-3-2245/दस-85-1(1)/77-भवन, दिनांक 20.4.85 में दी गई प्रक्रियानुसार ''प्रथम आगत प्रथम प्रदत्त'' सिद्धान्त के आधार पर दी जाय। स्वीकृत की जाने वाली धनराशि के भुगतान हेतु किश्तों के निर्धारण के संबंध में शासनादेश बी-3-2565/दस-84-1(11)/79-भवन, दिनांक 4.8.84 एवं शासनादेश संख्या-बी-3-1973/दस- 2010-100(9)/88-भवन, दिनांक 12.10.2010 के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

4- चालू वित्तीय वर्ष में स्वीकृत किये जाने वाले अग्रिमों और उनमें से भुगतान की जाने वाली प्राधिकृत धनराशियों को एक रजिस्टर में दर्ज किया जाय और निम्नांकित तालिका में विवरण विलम्बतम् दिनांक 25.03.2021 तक इस अनुभाग को अवश्य प्रेषित किया जायः-

शासनादेश संख्या व दिनांक जिसके द्वारा धनराशि आवंटित की गई	आवंटित धनराशि	आवंटित धनराशि में से भुगतान हेतु स्वीकृत धनराशि	शासन को समर्पण हेतु अवशेष धनराशि, यदि कोई हो
1	2	3	4

5- आवंटित धनराशि में से किये गये व्यय का शासनादेश संख्या बी-3-3758/दस-92- 20(8)/92, दिनॉक 17.8.92 के अनुसार महालेखाकार कार्यालय में पुस्तॉकित ऑकड़ों से मिलान करके वॉछित विवरण-पत्र निर्धारित प्रपत्र में निर्धारित तिथि के अन्दर शासन को अवश्य भेज दिया जाय। उक्त संदर्भित शासनादेश दिनॉक 17.08.92 की अपेक्षानुसार ऑकड़ों के मिलान की कार्यवाही न किये जाने की दशा में संबंधित विभागों को अतिरिक्त धनराशि आवंटित करने पर सामान्य दशा में विचार करना संभव न होगा। अतिरिक्त राशि के आवंटन हेतु मॉग-पत्र भेजते समय इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि पूर्व आवंटित राशि का उपयोग कर लिया गया है और ऑकड़ों के मिलान की कार्यवाही कर ली गई है।

6- भवन निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृति से संबंधित आदेश पत्र में संबंधित कर्मचारी का मूलवेतन तथा सेवा निवृत्ति की तिथि का उल्लेख अवश्य किया जाय।

7- भवन निर्माण अग्रिम की स्वीकृति से संबंधित आदेश पत्र की एक प्रति इस अनुभाग को अवश्य भेजी जाय।

8- आवंटित उक्त मद की राशि में से भवन मरम्मत/विस्तार हेतु अग्रिम नहीं स्वीकृत किया जायेगा।

9- अग्रिम की धनराशि के भुगतान को चालू वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक में वित्त विभाग की अनुदान संख्या-61 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष ''7610-सरकारी कर्मचारियों को कर्ज आदि-201-भवन निर्माण अग्रिम-04-भवन निर्माण या क्रय के लिए अग्रिम-30 निवेश/ऋण'' के नामें डाला जायेगा।

10- भवन निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृत करते समय उपर्युक्त नियमों/निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

11- कृपया इस शासनादेश की प्राप्ति स्वीकार करें।

भवदीय,

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

संख्या-**05/2021/**बी-3-40(3)/दस-2021-तददिनांकः-

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज ।

2-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-05/2021/बी-3-40(2)/दस-2021-100(5)/14-भ.नि.दिनॉकः 18 मार्च, 2021 का संलग्नक।

चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में राज्य के विभिन्न विभागाध्यक्षों आदि को भवन निर्माण/क्रय अग्रिम स्वीकृत करने हेतु आवंटित धनराशि की तालिका।

धनराशि रूपये में

क्रमांक	विभागाध्यक्षों आदि के नाम	आवंटित धनराशि
1	संयुक्त विकास आयुक्त, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर	10,00,000
2	आयुक्त, गोरखपुर मण्डल, गोरखपुर	25,00,000
3	जिलाधिकारी, बाराबंकी	15,00,000
4	जिलाधिकारी,महराजगंज(भूलेख अधि0 के कर्मचारियों हेतु)	40,00,000
5	जिलाधिकारी,महराजगंज(नजारत अनुभाग के कर्मचारियों हेतु)	20,00,000
6	जिलाधिकारी, महराजगंज (राजस्व विभाग भू अध्याप्ति कार्यालय)	7,50,000
7	जिलाधिकारी, भदोही	40,00,000
8	जिलाधिकारी, कुशीनगर	75,00,000
9	जिलाधिकारी, कानपुर नगर	25,00,000
10	जिलाधिकारी, सहारनपुर,	80,00,000
11	जिलाधिकारी, इटावा	35,00,000
12	जिलाधिकारी, देवरिया	18,00,000
13	जिलाधिकारी, मुरादाबाद	20,00,000
14	जिलाधिकारी, रायबरेली	25,00,000
15	जिलाधिकारी, आजमगढ़	60,00,000
16	जिलाधिकारी, गोरखपुर	75,00,000
17	जिलाधिकारी, मुजफ्फरनगर	18,00,000
18	जिलाधिकारी, पीलीभीत	16,00,000
19	जिलाधिकारी, सीतापुर	40,00,000
20	जिलाधिकारी, फतेहपुर	40,00,000
21	जिलाधिकारी, सम्भल	25,00,000
22	जिलाधिकारी, बलिया	60,00,000
23	जिलाधिकारी, रामपुर	18,00,000
24	जिलाधिकारी, लखनऊ	20,00,000
25	जिलाधिकारी, झॉसी	20,00,000
26	जिलाधिकारी, हमीरपुर	20,00,000
27	जिलाधिकारी, ललितपुर	40,00,000
28	जिलाधिकारी, गोण्डा	8,00,000
29	निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0, लखनऊ	60,00,000
30	निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उ0प्र0, लखनऊ	8,90,000
31	अध्यक्ष, राज्य लोक सेवा अधिकरण, लखनऊ	3,50,000
32	कृषि निदेशक, कृषि निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	75,00,000
33	निदेशक, संस्कृति निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ	10,56,000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

34	निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, उ0प्र0, लखनऊ	60,00,000
35	निदेशक,दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	25,00,000
36	महानिदेशक,चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,उ0प्र0, लखनऊ	75,00,000
37	निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	18,00,000
38	निदेशक, यूनानी सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ	6,32,500
39	निदेशक, उ0प्र0 संग्रहालय निदेशालय, लखनऊ	1,75,000
40	परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	25,00,000
41	आयुक्त एवं निदेशक, उ0प्र0 कानपुर	4,52,000
42	चकबंदी आयुक्त, उ0प्र0 लखनऊ	20,00,000
43	अपर पुलिस महानिरीक्षक, पी0ए0सी0 मुख्यालय, महानगर, उ0प्र0, लखनऊ	40,00,000
44	निदेशक, शिक्षा निदेशकलय, शिक्षा अर्थ(5) अनुभाग ,प्रयागराज	1,00,00,000
45	वन संरक्षक, देवीपाटन वृत्त, उ0प्र0, गोण्डा	50,00,000
46	मुख्य वन संरक्षक, वन्य जीव पूर्वी गोण्डा	20,00,000
47	मुख्य वन संरक्षक, कोर्ट केस 17 राणाप्रताप मार्ग, उ0प्र0 लखनऊ	5,50,000
48	मुख्य वन संरक्षक, प्रचार-प्रसार उ0प्र0 लखनऊ	4,50,000
49	कार्यालय वन संरक्षक, वाराणसी वृत्त, वाराणसी	50,00,000
50	वन संरक्षक ,मेरठ वृ्त्त, मेरठ	5,00,000
51	वन संरक्षक, बस्ती वृ्त्त, बस्ती	13,00,000
52	वन संरक्षक एवं क्षेत्रीय निदेशक, वन एवं वन्यजीव, बरेली वृ्त्त, बरेली	20,00,000
53	मुख्य वन संरक्षक, पश्चिमी जोन, उ0प्र0, बरेली	25,00,000
54	अपर प्रधान, मुख्य वन संरक्षक, कार्य योजना उ0प्र0 लखनऊ	1,70,170
55	मुख्य वन संरक्षक, पूर्वी क्षेत्र उ0प्र0, गोरखपुर	5,00,000
56	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष उ0प्र0, लखनऊ	3,37,000
57	प्रधान मुख्य वन संरक्षक और विभागाध्यक्ष, लुप्त प्राय परियोजना उ0प्र0 लखनऊ	3,00,000
58	निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ0प्र0 प्रयागराज	75,00,000
59	उत्तर प्रदेश सूचना आयोग, विभूति खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ	7,50,000
60	निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ	3,44,960
61	निदेशक, नगर निकाय, सेक्टर-7 गोमती नगर विस्तार लखनऊ	9,00,000
62	निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ	60,00,000
63	निदेशक, समाज कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	50,00,000
64	निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 2-सप्रूमार्ग, लखनऊ	40,00,000
65	मत्स्य विभाग उ0प्र0/निदेशक मत्स्य, उ0प्र0, लखनऊ	15,00,000
66	निदेशक, कुटीर एवं ग्रामीण उद्योग उ0प्र0, लखनऊ	7,50,000
67	निदेशक, आयुर्वेद सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ	15,00,000
68	प्रमुख अभियंता, उ0प्र0 लोक निर्माण विभाग व्यवस्थापन(क) वर्ग लखनऊ	75,00,000
69	प्रमुख सम्पादक, जिला गजेटियर विभाग उ0प्र0, पंचम तल इंदिरा भवन, लखनऊ	3,74,340

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

70	मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ0प्र0, विभूति खण्ड गोमतीनगर, लखनऊ	50,00,000
71	निदेशक, भूगर्भ जल विभाग उ0प्र0 लखनऊ	15,00,000
72	मुख्य लेखा परीक्षा अधिकारी, सहकारी समितियॉ एवं पंचायतें, उ0प्र0 लखनऊ	6,50,000
73	कमाण्डेन्ट जनरल, होमगार्ड, उ0प्र0 लखनऊ	11,30,000
74	पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ	4,00,000
75	अपर पुलिस महानिदेशक/पुलिस महानिरीक्षक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय लखनऊ-1	30,00,000
76	जनपद न्यायाधीश, बलरामपुर	12,50,000
77	आयुक्त, खाद्य एवं रसद विभाग, उ0प्र0, जवाहर भवन, लखनऊ	6,00,000
78	सहकारिता/निबन्धक, सहकारी समितियॉ उ0प्र0 लखनऊ	15,00,000
79	श्रम विभाग/ श्रम आयुक्त उ0प्र0, जी0टी0 रोड, कानपुर	9,00,000
80	कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0, लखनऊ	10,00,000
81	अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ	2,00,000
82	शिक्षा निदेशक, उच्च शिक्षा, उ0प्र0, शिक्षा डिग्री बजट अनुभाग, प्रयागराज	50,00,000
83	पर्यटन, महानिदेशक पर्यटन, उ0प्र0, लखनऊ	2,00,000
84	महानिबन्धक, मा0उच्च न्यायालय, इलाहाबाद	9,00,000
85	महानिदेशक, दीनदयाल उपाध्याय, राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बख्शी का तालाब, लखनऊ	1,97,000
86	निदेशक, मूल्यांकन प्रभाग, राज्य नियोजन संस्थान, उ0प्र0, कालाकांकर भवन लखनऊ	10,90,000
87	जिलाधिकारी, कुशीनगर (राजस्व विभाग)	40,00,000
	कुल योग-	22,81,48,970
(रूपये बाईस करोड़ इक्यासी लाख अड़तालीस हजार नौ सौ सत्तर मात्र)		

विवेक त्रिपाठी
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।